(42)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 1930–एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 30.05.2016 पारित द्वारा तहसीलदार अजयगढ़ जिला पन्ना प्रकरण कमांक 29/अ–6/2012–13

संतोष कुमार पुत्र रामदुलारे ब्राह्मण
निवासी किशनपुर तह0 अजयगढ़ जिला पन्ना (म.प्र.) .....आवेदक

विरुद्ध

1. दिनेश कुमार पुत्र बच्चीलाल तिवारी
2. म.प्र. शासन .....अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी

आदेश

(आज दिनांक 07/12/17 .....को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार अजयगढ़ जिला पन्ना के प्रकरण कमांक 29/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2016 के विरुद्ध म.प्र.

भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा ग्राम किशनपुर की आराजी खसरा नं. 166/1, 195/1, 197/1, 238/1/क/1/क कुल किता 4 कुल रकवा 0.220 हे. में वसीयत के आधार पर आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का आवेदन तहसीलदार अजयगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 30.05.2016 के द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त किया। इस आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का निवेदन किया गया है।

4 अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। यह प्रकरण नामांकन का है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रकरण 24.07.2013 से विचाराधीन है। अद्म पैरवी में निरस्त होने के बाद उभयपक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर मिल चुके हैं। दोनों पक्षों ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य दिए हैं। आपत्तिकर्ता के पुत्र के नाम भी वसीयत हुई है। उक्त आधार पर उन्होंने आवेदक को प्रकरण की वर्ष 2013 से जानकारी होना माना है। वर्ष 2013 से वर्ष 2016 तक पक्षकार बनाने या नोटरी अभिभाषक के कथन कराये जाने हेतु आवेदन क्यों नही दिया। इस संबंध में कोई कारण न बताए जाने के कारण आवेदन खारिज किया है एवं प्रकरण अनावेदक साक्षियों के प्रतिपरीक्षण हेतु नियत किया गया है। अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसके उपरांत प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ रही है। प्रकरण का निराकरण अभी गुण–दोष

पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर